संख्या-62/2018/878/26-3-2018-21(विविध)/2018

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः 20 मार्च 2018

विषयः-अतिपिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-उन्नाव के विकास कार्यो हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-2541-42/स0क0/विकास/एकीकृत वि0यो0-उन्नाव/2017-18 दिनांक-15.03.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति पिछडे. अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वागीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत जनपद-उन्नाव के विकासखण्ड-सफीपुर के ग्राम हसनापुर, ओझहरपुर, भदनी, गोपालपुर व खानपुर, विकासखण्ड-पुरवा के ग्राम मझिगवा सदकू एवं विकासखण्ड-असोहा के ग्राम टेढवा बभना में इन्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्यो की निम्न विवरणानुसार अंकित परियोजनाओं की कुल लागत रू0-1261.22 लाख (रू0 बारह करोड़ इक्सठ लाख बाईस हजार मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुये चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के अनुसार धनराशि रू0-1261.22 लाख (रू0 बारह करोड़ इक्सठ लाख बाईस हजार मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

जनपद-उन्नाव धनराशि लाख रू0 में

विकासखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त आगणन की लागत	अनुमोदित लागत	स्वीकृत धनराशि
सफीपुर	हसनापुर भाग-1	इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण	98.92	93.92	93.92
सफीपुर	हसनापुर भाग-2	--तदैव--	97.51	92.58	92.58
सफीपुर	ओझहरपुर भाग-1	--तदैव--	86.05	81.70	81.70
सफीपुर	ओझहरपुर भाग-2	--तदैव--	86.04	81.70	81.70
सफीपुर	भदनी भाग-1	--तदैव--	97.98	93.02	93.02
सफीपुर	भदनी भाग-2	--तदैव--	97.93	93.05	93.05

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

सफीपुर	गोपालपुर भाग-1	--तदैव--	97.96	93.00	93.00
सफीपुर	गोपालपुर भाग-2	--तदैव--	96.54	91.66	91.66
सफीपुर	खानपुर भाग-1	--तदैव--	94.70	89.90	89.90
सफीपुर	खानपुर भाग-2	--तदैव--	97.32	92.49	92.49
पुरवा	मझिगवां सदकू भाग-1	--तदैव--	98.97	84.73	84.73
पुरवा	मझिंगवासदकू भाग-2	--तदैव--	99.70	85.49	85.49
असोहा	टेढवा बभना भाग-1	--तदैव--	99.58	94.54	94.54
असोहा	टेढवा बभना भाग-2	--तदैव--	98.42	93.44	93.44
	योग		**1347.62**	**1261.22**	**1261.22**

(रू0-बारह करोड़ इकसठ लाख बाईस हजार मात्र)

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था ''उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0'' से शीघ्र एम0ओ0यू0 अनुबन्ध कराकर तत्काल धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं में कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की लागत पर सेन्टेज चार्ज 6.875 प्रतिशत लिया जायेगा। परियोजनाओं के आगणनों में कास्ट आफ समरी में यथावश्यकता संशोधन कर दिया गया है। आगणनों में संशोधित की गयी कास्ट आफ समरी के पृष्ठ की छायाप्रतियां संलग्न है। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के शीघ्र निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। परियोजनाओं का पुनरीक्षण भविष्य में स्वीकारर्य नहीं होगा।

(3)- स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर में नही रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4)-स्वीकृत धनराशि से निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति शासन/निदेशालय को उपलब्ध करायी जायेगी। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(5)- उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(6)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग ससमय सुनिश्चित करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमानुसार महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7)- स्वीकृत की जा रही परियोजनाओं में लेबर सेस की धनराशि कार्यदायी संस्था द्वारा नियमानुसार श्रम विभाग मे जमा कराया जायेगा।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-''4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विशेष घटक योजना-10-अतिपिछडे अनुसूचित जाति समूहों के लिये एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा एवं व्यय संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (भाग-1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव

संख्या-62/2018/878(1)/26-3-2018 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेरेषित:-

1.महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम उ0प्र0, इलाहाबाद।
2.अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग (अनुश्रवण प्रकोष्ठ), उ0प्र0शासन।
3.जिलाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उन्नाव।
4.निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0इलाहाबाद।
5.मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
6.वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0लखनऊ।
7.वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,उ0प्र0सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज लखनऊ।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0 लखनऊ को परियोजनाओं के आगणनों में संशोधित कास्ट आफ समरी के पृष्ठ की छायाप्रतियां संलग्नक सहित ।
9.जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव।
10.वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11.समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
12.गार्डफाइल।

आज्ञा से,

रवि शंकर मिश्र
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी0एम0-9 (पार्ट-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(सन्दर्भः बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

अनुदान संख्या व नाम :- 83 व अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना (समाज कल्याण विभाग) वित्तीय वर्ष 2017-2018 (धनराशि लाख रू0 में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन-पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संकमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संकमण के पश्चात् शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ-0104-सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास(के.60/रा.40-के.+रा.)-24-वृहत निर्माण कार्य-	10585.14	1261.22	1261.22	1261.22	9323.92
योग	10585.14	1261.22	1261.22	1261.22	9323.92

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संकमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष के लिये उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संकमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा नुमोदित संकमण की धनराशि	संकमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8+11)
7	8	9	10	11	12
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य-	5051.70	6312.92	1261.22	1261.22	6312.92
योग	5051.70	6312.92	1261.22	1261.22	6312.92

1. स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:- स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीषकों में बचत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।
2. स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणो से है:- योजना के कियान्वयन किये जाने के कारण ।
3. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

संख्या-आर0ई0- 538/दस-2018, दि0 20.3.2018

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव
समाज कल्याण विभाग

(मनोज सिंह)
प्रमुख सचिव
समाज कल्याण विभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या– 62/2018/878 (1)/26–3–2018–21(विविध)/2018, दिनांक 20मार्च, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग (अनुश्रवण प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
3– निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
4– निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, उन्नाव।
6– वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7– जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, उन्नाव।
8– वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् शिक्षा भवन, निशातगंज, लखनऊ।
9– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)
10– बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन/अनुश्रवण प्रकोष्ठ, बेसिक शिक्षा।
11– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(रवि शंकर मिश्र)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।